2011/00137

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोलायत

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत 136 एलआर एक्ट   मु. नं 95 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.02.2019	यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार राजस्व बज्जू से प्राप्त हुआ। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने खाता दुरूस्ती बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के साथ अनूसूची धारा 6(1), जमाबंदी, ना.स. 178 की प्रति पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक बरसलपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बज्जू की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 21 MGM तहसील बज्जू व जिला बीकानेर की वर्तमान जमाबन्दी के खाता नं. 47 को निम्नलिखित रूप से दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–	

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	21 MGM	47	श्रीमति रोशनी देवी w/o रामेश्वर लाल जति बिश्नोई सा. माणकारसर तह. कोलायत रहन– मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा रणजीतपुरा	श्रीमति रोशनी देवी w/o रामेश्वर लाल जति बिश्नोई सा. माणकारसर तह. कोलायत रहन– मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बज्जू

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व बज्जू व मुख्य शाखा प्रबंधक मरूधरा ग्रामीण रणजीतपुरा व बज्जू बैंक को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास में सुनाया गया।

22.02.19

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोलायत

Scanned by CamScanner